राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2448/2012/भीलवाडा

मै. अनिल कुमार सैनी, कॉन्ट्रेक्टर,
वार्ड नं. 17, माजी साहब का बाग,
खेतडी, जिला झुंन्झुनूं ...अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट द्वितीय, वृत्त झुंन्झुनूं ...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सुरेश ओझा
अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 08.01.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 312/आरवेट/झुंन्झुनूं/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, वृत्त झुंन्झुनूं (जिसे आगे **''कर निर्धारण अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा ई. सी.फीस प्रमाण पत्र बाबत जारी मुक्ति शुल्क आदेश दिनांक 04.01.2011 एवं संशोधित आदेश दिनांक 02.08.2011 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **''अधिनियम 2003''** कहा जायेगा) को व्यवहारी द्वारा विवादित करने पर अपील अस्वीकार की है, जिससे व्यथित होकर व्यवसायी द्वारा अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2. उक्त प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ठेकेदार द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या F.12(63)FD/Tax/2005-80 Dt. 11-08-2006, के अन्तर्गत मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रारूप WT-1 दिनांक 16.12.10 को 1.5 प्रतिशत E.C. Fee हेतु प्रस्तुत किया गया किन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा जांच पर पाया गया कि अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के.वी. जी.एस.एस. ग्राम नंगली के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु कार्यादेश संख्या 3453 दिनांक 25.11.2010 द्वारा आंवटन किया गया हैं। उक्त कार्य 132 के.वी. जी.एस.एस. के चारों ओर सिर्फ बाउण्ड्रीवाल के निर्माण संबंधी है।

लगातार................2

अतः सक्षम अधिकारी द्वारा इस पर अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार मुक्ति शुल्क 3 प्रतिशत देय मानते हुये इस वर्क आर्डर के आवंटन कार्यादेश की राशि 26,54,909/– पर आदेश दिनांक 04.01.2011 द्वारा मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र 3 प्रतिशत का जारी किया। इस आदेश के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया कि माननीय कर बोर्ड के मैसर्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल इन्जीनियरिंग कॉरपोरेशन बनाम एडिशनल कमिश्नर (वेट) के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उक्त पारित आदेश को संशोधित किया जाये। किन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा विस्तृत रूप से पारित आदेश दिनांक 02.08.2011 में उल्लेखित करते हुए यह माना गया कि उक्त निर्णय के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से मेल नहीं खाने एव बाउण्ड्रीवाल का निर्माण Releted to Building के अन्तर्गत नहीं आने के कारण ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2011 को अस्वीकार किया गया। जिसके विरूद्व व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपील अस्वीकार की गई है जिससे व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी संकर्म संविदा कार्य करता है तथा अपीलार्थी व्यवहारी का संकर्म संविदा कार्य उक्त संविदा कार्य Work relating to building की श्रेणी में आने के कारण राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 की सूची के आईटम संख्या 2 के अर्न्तगत आने से इसके लिये 1.5 प्रतिशत की दर से ही ई.सी. फीस देय है। उक्त इस संविदा कार्यों को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 की प्रविष्ठि संख्या 4 में होना अवधारित कर 3 प्रतिशत की दर से ई.सी. फीस निर्धारित की गयी है, जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का यथावत रखा है, जो विधिसम्मत नहीं है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत डीबी अपील संख्या 574/2012/कोटा निर्णय दिनांक 09.09.2016 तथा डीबी अपील संख्या 1535/2011/उदयपुर निर्णय दिनांक 27.07.2017 प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि उक्त दोनों न्यायिक दृष्टातों में construction of boundary wall को Work relating to building माना और अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 की प्रविष्टि संख्या 2 के श्रेणी की मानकर 1.5

08/01/17

लगातार.....3

प्रतिशत से मुक्ति शुल्क देय होना निर्धारित किया गया है। अतः वर्तमान प्रकरण उक्त दोनों न्यायिक दृष्टातों से आच्छादित है। इन्होंने अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि कर द्वारा संविदा कार्य राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आईटम संख्या 2 से आच्छादित न होकर आईटम संख्या 4 से आच्छादित होता है। इसी आधार पर इस संविदा कार्य के लिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी पर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क की देयता होने से मुक्ति शुल्क 3 प्रतिशत निर्धारित करते हुये नियमानुसार कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि सूची के आईटम संख्या 2 में अंकित संविदा कार्यो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इनमें सभी उन संविदा–कार्यो को शामिल किया गया है जो relating to building से जिसमें road, bridges, dams, canals, sewerage system इत्यादी कार्य संबंधित है। अपीलार्थी के प्रश्नगत संविदा कार्य आईटम संख्या 2 की श्रेणी में न आकर अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आईटम संख्या–4 की श्रेणी में आने से इस पर 3 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति शुल्क देय होता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आइटम संख्या 4 को श्रेणी में मानकर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क निर्धारित किया गया, जो विधि संगत है। अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को यथावत रखा है, जो विधिसम्मत है। राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपील अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 द्वारा संविदा संकर्म की प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण कर देय EC फीस निर्धारित की गयी है। उक्त अधिसूचना संख्या F.12(63)FD/Tax/2005-80 Dt. 11-08-2006, का यहा उल्लेख किया जाना उचित होगा, जो निम्न प्रकार है–

08/01/17

लगातार.....4

List

Item No	Description of Work Contract	Rate of Exemption Fee % of the total value of the contract
1	2	3
1	a[xxx]	0.25%
2	Work contracts relating to building, roads, bridges, dams canals, sewerage system	1.50%
3	Works contracts relating to installation of plants and machinery including PSPo, water treatment plant, laying of pipe line with material	2.25%
4	Any other kind of works contract not covered by item Nos. 1[xxx] 2 and 3	3.00%

This notification shall be deemed to have come into force w.e.f. April 1,2006

8. उपरोक्त अधिसूचना के बिन्दु सं. 2 में Work contracts relating to building, roads, bridges, dams canals, sewerage system से संबंधित कार्यो पर 1.5 प्रतिशत ई.सी.फीस देय मानी है। बिन्दु सं. 2 में Work contracts relating to building.... वाक्य का प्रयोग किया गया है अर्थात बिल्डिंग से संबंधित कार्यो को इस श्रेणी में लिया गया है। बाउण्ड्रीवाल का कार्य प्रत्यक्ष तौर पर बिल्डिंग कार्य नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.05.2015 एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन सं. 6/2007 सीटीओ बनाम पेनार इण्ड. लि. में यह अवधारित किया है कि "Relating to" शब्द को वृहद दृष्टिकोण के रूप में लिया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से बाउण्ड्रीवॉल, बिल्डिंग से संबंधित कार्य माना जाना चाहिए। इस धारणा की पुष्टि माननीय कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांतों से भी होती है जैसा कि आगे के बिन्दु सं. 9 में इस संबंध में विवेचना की जा रही है।

9. राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा न्यायिक दृष्टांत डीबी अपील संख्या 574/ 2012/कोटा निर्णय दिनांक 09.09.2016 उनवान मैसर्स शंकर कंस्ट्रक्शन कम्पनी बनाम सीटीओ में संविदा कार्य Modification and Construction of Main Plant Boundry Wall between RAPP 5,6,7 & 8 तथा राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत डीबी अपील संख्या 1535/2011/उदयपुर निर्णय दिनांक 27.07.2017 उनवान सीटीओ बनाम मैसर्स बावेल बद्रर्स में संविदा कार्य Construction of 33KVS/S building with boundry wall at Lotiyana Distt. Chittorgarh एवं

08/01/17

लगातार.....5

Construction of RCC foundation at 132KVS/S Capasan के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उक्त संविदा कार्य पर अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 की प्रविष्टि संख्या 2 में Work contracts relating to building की श्रेणी में आने से 1.5 प्रतिशत से कर मुक्ति शुल्क देय है। विचाराधीन प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के न्यायिक दृष्टांतों से आच्छादित है। इस प्रकार उक्त दोनों न्यायिक दृष्टातों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में वर्तमान प्रकरण में आवर्ड किये गये कार्य संविदा का प्रकृति अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 की प्रविष्टि संख्या 2 में Work contracts relating to building की श्रेणी में आने से 1.5 प्रतिशत से कर मुक्ति शुल्क देय है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त कर अपील स्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य

08/01/17
(राजीव चौधरी)
सदस्य